उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-14/2018/808/60-1-2018
लखनऊः दिनांक 28 मई, 2018

कार्यालय-आदेश

बाल कल्याण समिति, बिजनौर के कार्यकलापों तथा विधि विरूद्ध किये जा रहे कार्यो एवं शिकायतों की जॉच के लिए जिलाधिकारी बिजनौर ने अपने पत्र सं0-5255/पी0ए0/शि0-जॉच/2017-18, दिनांक 09.03.2018 के द्वारा श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, बिजनौर, श्री राजेश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर व श्री संजय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बिजनौर की तीन सदस्यीय जॉच समिति बनाकर जॉच कराकर आख्या प्रेषित की गयी है।

2- जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्र दिनांक-10.04.2018 के साथ प्रेषित जॉच समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य अंकित किये गये है :-

गठित जॉच समिति द्वारा बिजनौर में नियुक्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को दिनांक 24.03.2018 को जनपद मुख्यालय पर बुलवाकर उनसे बयान/अभिकथन प्राप्त किये गये। जॉच प्रक्रिया के दौरान श्रीमती अनुराधा एवं श्री कालूराम द्वारा उपस्थित होकर उनके द्वारा शिकायत किये जाने की जानकारी एवं अपना कथन/बयान भी समिति के समक्ष दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

3- प्रश्नगत प्रकरण में बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों एवं उपरोक्त दोनो शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर प्रकरण की बिन्दुवार जॉच आख्या निम्नवत है :-

(1) श्री दानिश अख्तर बाल कल्याण समिति, बिजनौर में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है तथा एम0जी0एम0पी0 मुस्लिम इण्टकालेज बसीकीरतपुर जनपद-बिजनौर में भी सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेट (सामाजिक विषय) पद पर तैनात है। प्रधानाचार्य द्वारा इनसे सम्बन्धित कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जिसमें इनका समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्रीष्म काल 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 07:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं शीतकाल में 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 08:50 से 02:50 बजे तक है।

(2) श्री उदयराज सिंह बाल कल्याण समिति, बिजनौर में सदस्य के रूप में कार्यरत है तथा मूर्तिदेवी सरस्वती इण्टरकालेज, नजीबाबाद जनपद-बिजनौर में भी प्रवक्ता (भूगोल) पद पर स्थायी रूप से तैनात है। प्रधानाचार्य द्वारा इनसे सम्बन्धित कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, , जिसमें इनका समय ग्रीष्मकाल 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 07:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं शीतकाल में 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 08:50 से 02:50 बजे तक है।

(3) डा0 सरिता वर्मा, बाल कल्याण समिति, बिजनौर में सदस्य के रूप में कार्यरत है तथा रमा जैन कन्या महाविद्यलाय, नजीबाबाद जनपद- बिजनौर में भी प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) पद पर तैनात है। प्रधानाचार्य द्वारा इनसे सम्बन्धित कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, , जिसमें इनका समय प्रातः 10:00 से अपरान्ह 02:00 बजे तक है।

(4) श्री उदयराज सिंह, डा0 सरिता वर्मा एवं श्री दानिश अख्तर के विद्यालयों की जनपद मुख्यालय से दूरी क्रमशः लगभग 35 किमी एवं 17 किमी है, जबकि बाल कल्याण समिति का कार्यालय जनपद मुख्यालय पर विकास भवन में स्थित है। जॉच आख्या के आधार पर विद्यालयों एवं बाल कल्याण समिति में कार्य सम्पादित किये जाने की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, जिसमें यह स्पष्ट है कि तीनो अध्यापकगणों के जनपद स्थित कार्यालय पर अपनी शिक्षण संस्थान में कार्य समाप्ति के उपरान्त ही उपस्थित हो सकते है तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व दोनो सदस्यों द्वारा जनपद मुख्यालय पर अपरान्ह 03ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक बैठने का उल्लेख किया गया है, जो कि सम्भव नहीं हो सकता है।

(5) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व अन्य 02 नियुक्त सदस्यों के बारे में विकास भवन, बिजनौर के चौकीदार श्री जगदम्बा प्रसाद सती एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय में तैनात श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री राजपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बयान द्वारा यह अवगत कराया गया कि बाल कल्याण समिति के सदस्यों का अपनी इच्छानुसार ही जनपद मुख्यालय विकास भवन में आना जाना है। उक्त के अतिरिक्त विकास भवन बिजनौर में स्थित बायोमैट्रिक मशीन की रिपोर्ट के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार भी यह पाया गया कि समिति के सदस्यगण द्वारा स्वैच्छाचारी ढंग से कार्यालय में आगमन प्रसाथन किया जाता रहा है। इनके द्वारा कतिथ/निर्धारित रोस्टर एवं बायोमैट्रिक मशीन की रिपोर्ट में पाये गये विरोधाभास से स्पष्ट है कि समिति के अध्यक्ष व 02 सदस्यगण द्वारा अपने निर्धारित कार्य अनुरूप दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(6) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं अन्य 02 नियुक्त सदस्यों के बारें में उनके द्वारा स्वंय को विद्यालयों में भी तैनात होने की पुष्टि की गयी है तथा उपरोक्त तीनो समिति के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित प्रधानाचार्यो द्वारा जहॉ पर तीनो अध्यापकगण की तैनाती है आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

(7) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के अध्याय-4 की धारा-16 की उपधारा-7 में उल्लेख है कि ''समिति सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप कम से कम 06 घंटे अपनी बैठके आयोजित करेंगी, जबतक कि जिला विशेष में लम्बित मामलों की संख्या कम न हो और सम्बन्धित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी न किया हो। ' ' शिकायत कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी आदर्श नियम-2016 के अनुसार नियुक्ति बाल कल्याण समिति के पदाधिकारीगण अपनी बैठक का समय अपरान्ह 03:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक दिया गया है, जो उपरोक्त नियम के अनुरूप नहीं है। समिति के नियुक्त उपरोक्त तीनो पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कथन में उल्लेख किया गया है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार बैठक के समय में परिर्वतन समिति द्वारा किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तीनो पदाधिकारियों द्वारा दिये गये कथन एवं उपरोक्त आदर्श नियम में विरोधाभास पाया गया।

(8) उक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता श्रीमती अनुराधा व श्री कालूराम द्वारा प्रस्तुत अभिकथन/साक्ष्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 की धारा-88 की उपधारा-5(1) में उल्लेख है कि '' ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो। " परन्तु नियुक्त पदाधिकारीगण पूर्णकालिक पद पर तैनात हैं, फिर भी इनके द्वारा अपनी नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार होने का दावा किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लेख किया गया है कि निदेशालय, महिला कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 आठवॉ तल, जवाहर भवन लखनऊ के सार्वजनिक विज्ञापन दिनांक 25.06.2015 अर्हताएं ख के क्रमांक-2 पर अंकित शिक्षक, डाक्टर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता जो बालकों से सम्बन्धित कार्यो में संलग्न हो के आधार को ही नियुक्त होने का आधार माना गया है। अतः उपरोक्त तीनो पदाधिकारियों के पूर्णकालिक पदधारक होने एवं उनके द्वारा दिये गये कथन एवं उपरोक्त आदर्श नियम में विरोधाभास पाया गया।

(9) श्री उदयराज सिंह, जो मूर्ति देवी सरस्वती देवी इण्टर कालेज, नजीबाबाद में तैनात है तथ बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त है की विद्यालय एंव बाल कल्याण समिति की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि दिनांक 07.01.2017, 25.01.2017 एवं 14.07.2017 की तिथियों में विद्यलाय की उपस्थिति पंजिका में एम0एल0 पर रहे हैं, जबकि बाल कल्याण समिति की उपस्थिति पंजिका में उक्त तिथियों में इनके हस्ताक्षर पाये गये हैं। इस प्रकार स्वंय स्पष्ट है कि इनके उक्त कृत्य से श्री उदयराज सिंह की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी तथा इनके यह कृत्य सरकारी आचरण नियमावली के विपरीत है। इसी प्रकार अन्य महिनो में भी इनकी उपस्थिति पंजिकाओं में विरोधाभास पाया गया है।

(10) डा0 सरिता वर्मा, जो रमा जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में तैनात है तथा बाल कल्याण समिति में नियुक्त है नजीबाबाद में तैनात है तथा बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त है की विद्यालय एंव बाल कल्याण समिति की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि दिनांक 07.01.2017, 16.01.2017 एवं 24.01.2017 की तिथियों में विद्यलाय की उपस्थिति पंजिका में लीव पर हैं, जबकि बाल कल्याण समिति की उपस्थिति पंजिका में उक्त तिथियों में इनके हस्ताक्षर पाये गये हैं। इस प्रकार स्वंय स्पष्ट है कि इनके उक्त कृत्य से डा सरिता वर्मा की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी तथा इनके यह कृत्य सरकारी आचरण नियमावली के विपरीत है। इसी प्रकार अन्य महिनो में भी इनकी उपस्थिति पंजिकाओं में विरोधाभास पाया गया है।

4- जॉच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या से यह स्पष्ट है कि समिति के अध्यक्ष श्री दानिश अख्तर एवं अन्य सदस्य श्री उदयराज सिंह व डा0 सरिता वर्मा तीनों की बाल कल्याण समिति में नियुक्त होने के साथ-साथ सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विद्यलायों में भी तैनात रह कर कार्य किया जा रहा है, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 की धारा-88 की उपधारा-5(1) में उल्लिखित ‘‘ ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो। ‘ ‘ के विरूद्ध है तथा यह भी पाया गया कि समिति में नियुक्त प्राधिकारीगण अपनी इच्छा के अनुसार ही आते जाते रहते है तथा डा0 सरीता वर्मा एवं श्री उदयराज सिंह द्वारा अपने तैनाती के विद्यालयों की उपस्थिति पंजिकाओं व बाल कल्याण समिति की उपस्थिति पंजिकाओं में विरोधाभास पाया गया, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के अध्याय-4 की धारा-16 की उपधारा-7 में उल्लेख है कि ‘‘समिति सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप कम से कम 06 घंटे अपनी बैठके आयोजित करेंगी, जबतक कि जिला विशेष में लम्बित मामलों की संख्या कम न हो और सम्बन्धित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी न किया हो। ‘ ‘ के विरूद्ध है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा विद्यालयों के प्रधानाचार्यो एवं जनपद मुख्यालय पर स्थिति बाल कल्याण समिति को गुमराह करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वान्ह ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है, जो किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 में निहित प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

5- अतः उपरोक्त विधि विरूद्ध कार्यो एवं अनियिमतताओं आदि के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति , बिजनौर के अध्यक्ष श्री दानिश अख्तर, श्री उदयराज सिंह, सदस्य एवं डा0 सरीता वर्मा, सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016 की धारा-88 की उपधारा-5(1) के आलोक में अध्याय-4 की धारा-16 की उपधारा-7 के किये जा रहे स्पष्ट उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुये उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2018/808(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिलाधिकारी, बिजनौर ।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- सम्बन्धित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
5- जिला परिवीक्षा अधिकारी, बिजनौर।
6- सम्बन्धित अध्यक्ष एवं सदस्य बाल कल्याण समिति बिजनौर।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।